तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/1518/2006/भरतपुर** **राजस्थान सरकार बनाम होरीलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :
श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड़, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ।
श्री दिनेश कुमार, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3।

——

आदेश

दिनांकः— 10.04.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 सपठित धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 20.12.2001 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, भरतपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 व सपठित धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष बाबत् आराजी खसरा संख्या 494/0–11, 495/0–12, 501/2–12, 515/8–00 वाकै ग्राम चक संख्या 2 भरतपुर किता 4 रकबा 12–01 से संबंधित दा.खा. संख्या 800 बहस मवासी वल्द भदूर कौम जाटव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पिता एवं पति को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिस पर न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर ने आदेश दिनांक 20.12.2001 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय न्यायालय को प्रेषित किया है ।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 494/0–11, 495/0–12, 501/2–12, 515/8–00 वाकै ग्राम चक संख्या 2 भरतपुर किता 4 रकबा 12–01 राज0काश्त0अधि0 लागू होने से पूर्व मकबजा राज मिलकियत सरकार थी। विवादित आराजी को नियमानुसार किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन नहीं किया गया है तथापित अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता, पति ने बमिल्लत राजस्व कर्मचारियान राजस्व रिकार्ड में अपने आपको पट्टेदार साल एक अंकित करा लिया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा अवैध एवं आधारहीन इंद्राज पट्टेदार साल एक के आधार पर संवत् 2019 में बिला किसी सक्षम आज्ञा/नामांतकरण के गैर खातेदार दर्ज करा लिया गया है। उक्त विवादित आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता एवं पति को जरिए नामांतकरण संख्या 800 से राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 15 के तहत खातेदारी तहसीलदार, भरतपुर द्वारा प्रदान की गई है जबकि 15 आरटीएक्ट के तहत तहसीलदार को खातेदारी प्रदान करने का कोई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/1518/2006/भरतपुर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम होरीलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिकार नहीं है तथा धारा 15 (2) आरटीएक्ट के तहत अस्थाई काश्त/पट्टे पर दी गई भूमियों पर खातेदारी दिया जाना अवैध है। अवैध एवं अधिकार क्षेत्र के बाहर प्राप्त खातेदारी के आधार पर विवादित आराजीयात में खसरा संख्या 501/2–12 का अप्रार्थीगण के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को बैचान कर दिया है जब मूल खातेदारी ही अधिकार क्षेत्र क बाहर एवं प्रचलित विधिक प्रावधानों के विपरीत है तो उसके पश्चात् बयनामा के आधार पर स्वीकृत इंद्राज भी अवैध एवं शून्य रहता है। विवादि आराजी भरतपुर शहर की सीमा में स्थित है तथा नगर सुधार न्यास द्वारा अवाप्त घोषित कराया है। अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात का मुआवजा लेने पर आमादा है। अप्रार्थीगण को विवादित आराजी पर लोग पजेशन के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः विधिक प्रावधानों के विपरीत स्वीकृत नामांतकरण संख्या 800 एवं उसके बाद विवादित आराजी खसरा संख्या 501/2–12 के बयनामा के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण एवं इंद्राज अवैध एवं शून्य होने से निरस्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता एवं पति के हक में राजस्व रिकार्ड में किए इंद्राजात पट्टेदार साल एक अवैध एवं आधारहीन तथा अधिकार क्षेत्र के बाहर एवं प्रचलित विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। अप्रार्थीगण को कोई अधिकार विवादित आराजी पर नहीं हो सकते हैं। पट्टेदार साल एक की अवधि समाप्ति के बाद इंद्राजात अवैध रहते हैं। अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर स्वत्व तय होने के बाद ही मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी रहते हैं। भूमि अवाप्ति की जा चुकी है इसलिए प्रस्तुत रेफरेंस को अवाप्ति की कार्यवाही के बाद जिला न्यायाधीश को ही प्रार्थना पत्र रेफरेंस प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार किया जावें।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और न्यायालय जिला कलक्टर, की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध संवत् 2014 की जमाबंदी एवं अन्य दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता एवं पति मवासी वल्द भूधर पट्टेदार का इन्द्राज है। प्रार्थी के द्वारा मवासी वल्द भूधर को पट्टा होने से इंकार किया गया है तथा पट्टा अवधि को आगे बढ़ाए जाने संबंधित कोई भी साक्ष्य या दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही नामांतकरण संख्या 800 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता एवं पति मवासी वल्द भूधर को विवादित आराजी पर राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 15 के तहत तहसीलदार, भरतपुर द्वारा खातेदारी प्रदान की गई, जबकि राज0काश्त0अधि0 के तहत तहसीलदार को खातेदारी प्रदान करने के कोई अधिकार नहीं है। अस्थाई/काश्त पट्टा पर दी गई भूमि पर खातेदारी धारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/1518/2006/भरतपुर** **राजस्थान सरकार बनाम होरीलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	15 (2) आरटीएक्ट के तहत अवैध एवं शून्यकारी है। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता एवं पति के नाम राजस्व रिकार्ड में किए गए इंद्राज पट्टेदार बिना किसी सक्षम आज्ञा/ना0क0 के है तो उसके आधार पर स्वीकृत नामांतकरण अधिकार क्षेत्र के बाहर एवं प्रचलित कानून के प्रावधानों के विरूद्ध है तथा उसके आधार पर बाद में बयनामा के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण एवं अन्य कार्यवाही स्वतः अवैध एवं शून्य रहती है। इस प्रकार जब मूल खातेदारी ही अवैध एवं अधिकार क्षेत्र के बाहर एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत है तो उसके पश्चात् बयनामा के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण/इंद्राज भी अवैध एवं शून्य होते हैं। ऐसी भूमि पर अप्रार्थीगण को कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार तहसीलदार के द्वारा स्वीकृत नामांतरकण अधिकार क्षेत्र से बाहर तथा विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य प्रतीत होता है। परिणामतः न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 20.12.2001 के क्रम में मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता एवं पति मवासी वल्द भूधर के नाम राजस्व रिकार्ड में किए गए इन्द्राज पट्टेदार अवैध एवं आधारहीन एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के होने के कारण निरस्त किए जाते है तथा तत्पश्चात् स्वीकृत नामांतकरण संख्या 800 एवं इसी क्रम में बयनामा के आधार पर किए गए समस्त इंद्राजों को निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजीयात को पूर्व की भांति राजकीय भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	